एक ही दिन में कई कार्यों का उद्घाटन

नसीराबाद,(निसं)। छावनी परिषद नसीराबाद द्वारा शहर के विभिन्न मोहल्लों में कराए गए बहुप्रतीक्षित विकास कार्यों का लोकार्पण आज किया जा रहा है। इन कार्यों के माध्यम से नसीराबाद को स्वच्छता, सड़क और जनसुविधाओं से जुड़ी कई महत्वपूर्ण नई सुविधाएं मिलने जा रही हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. नितिश गुप्ता, मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद नसीराबाद एवं मनोनीत सदस्य व सामाजिक कार्यकर्ता रहेंगे।

सात करोड़ की स्वीकृति से जीएनएम नर्सिंग विद्यालय का मार्ग प्रशस्त

■ अजमेर दक्षिण में नर्सिंग शिक्षा को नई दिशा

अजमेर, (कासं)। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र को नर्सिंग शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सौगात मिलने जा रही है। राज्य सरकार द्वारा बजट वर्ष 2024-25 की घोषणा के अनुरूप अजमेर शहर में जीएनएम नर्सिंग विद्यालय के निर्माण हेतु सात करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इससे क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा के ढांचे को मजबूती मिलेगी और स्थानीय विद्यार्थियों को बड़ी राहत प्राप्त होगी।

विधानसभा के पंचम सत्र के दौरान तारांकित प्रश्न के माध्यम से अजमेर दक्षिण विधायक अनिता भदेल ने जीएनएम नर्सिंग विद्यालय के निर्माण की प्रगति को लेकर चिकित्सा मंत्री से विस्तृत जानकारी मांगी। उन्होंने सदन में यह प्रश्न उठाया कि बजट घोषणा के बावजूद अब तक विद्यालय का निर्माण कार्य प्रारंभ क्यों नहीं हुआ और इसके लिए बजट स्वीकृति की स्थिति क्या है।

चिकित्सा मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि बजट 2024-25 के अंतर्गत अजमेर के चंद्रवरदायी नगर क्षेत्र में जीएनएम नर्सिंग विद्यालय की स्थापना के लिए तीन हजार वर्ग मीटर भूमि का चिन्हांकन किया जा चुका है। साथ ही विद्यालय भवन निर्माण के लिए सात करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी तथा दस फरवरी 2026 को कार्यादेश जारी कर दिया जाएगा। कार्यादेश जारी होने के पश्चात लगभग डेढ़ वर्ष की अवधि में भवन निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। विधायक अनिता भदेल ने सदन में चिकित्सा मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अजमेर जैसे बड़े और ऐतिहासिक शहर में जीएनएम नर्सिंग विद्यालय की लंबे समय से आवश्यकता थी। इस विद्यालय की स्थापना से अजमेर सहित आसपास के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को नर्सिंग शिक्षा के लिए अन्य जिलों में नहीं जाना पड़ेगा। इससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

तेरह पदों को स्वीकृति, संचालन को मिलेगी मजबूती: विधायक अनिता भदेल ने जानकारी दी कि जीएनएम नर्सिंग विद्यालय के भवन निर्माण के साथ इसके सुचारु संचालन के लिए कुल तेरह पदों को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे अजमेर जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जीएनएम नर्सिंग विद्यालय के लिए बजट स्वीकृति और पदों की मंजूरी इसी विकास यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है।

राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय में स्वच्छता ही सेवा अभियान

अजमेर, (कासं)। राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत एक दिवसीय श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वच्छ परिसर स्वस्थ परिसर की अवधारणा को साकार करना रहा।

राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने पूरे उत्साह और अनुशासन के साथ महाविद्यालय परिसर की साफ सफाई की। स्वच्छता एवं सेवा से जुड़े इस अभियान में विद्यार्थियों ने समाज सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया। श्रमदान कार्यक्रम के माध्यम से सेवा, सहयोग और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय की प्राचार्या रेखा मेहरा ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना जैसे कार्यक्रम विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों, अनुशासन और सामाजिक चेतना का विकास करते हैं। कार्यक्रम अधिकारी अमित चतुर्वेदी ने कहा कि स्वयंसेवकों द्वारा किया गया श्रमदान न केवल परिसर को स्वच्छ रखने में सहायक है बल्कि विद्यार्थियों को समाज के प्रति अपने दायित्वों का बोध भी कराता है।

खेलकूद अधिकारी सुभाष मालिक ने राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी साझा की। कार्यक्रम में रमेश डूडी, अनमोल, भोमाराम, रितेश जलवानिया, गौरव सोलंकी, विशाल चौधरी, तोशिफ खोखर, भगवती, अनुष्का सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे और सभी ने सक्रिय सहभागिता निभाई।

14 सूत्री मांगों को लेकर वकीलों ने किया विरोध प्रदर्शन

■ वकीलों का कहना है कि उन्होंने अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर पहले ही अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) को मांग पत्र सौंप दिया था। इसके बावजूद अब तक एक भी मांग का निस्तारण नहीं किया गया है

अजमेर, (कासं)। जयपुर रोड स्थित सत्र न्यायालय भले ही पुरानी इमारत से नए भवन में स्थानांतरित हो गया हो, लेकिन यहां मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण वकीलों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वकीलों के बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं होने, चेंबर आवंटन की प्रक्रिया को जानबूझकर धीमा रखने सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर वकील लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज दिन तक इन समस्याओं का कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। बार एसोसिएशन अध्यक्ष योगेन्द्र ओझा व बार सचिव ने बताया कि मांगों को लेकर मंगलवार को वकीलों का आक्रोश फूट पड़ा। बड़ी संख्या में वकीलों ने कोर्ट के नए भवन परिसर में एकत्र होकर जिला सत्र न्यायाधीश पर हठधर्मिता का आरोप लगाते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की और जल्द समाधान की मांग की। वकीलों का कहना है कि उन्होंने अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर पहले ही अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) को मांग पत्र सौंप दिया था। इसके बावजूद अब तक एक भी मांग का निस्तारण नहीं किया गया है। मांगों में वकीलों के लिए बैठने की स्थायी व्यवस्था, चेंबर आवंटन में पारदर्शिता और तेजी, मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता जैसी प्रमुख समस्याएं शामिल हैं। वकीलों ने आरोप लगाया कि नए भवन में शिफ्ट होने के बाद से लगातार प्रशासन का ध्यान इन गंभीर मुद्दों की ओर आकर्षित कराया जा रहा है।

व्यक्तित्व विकास पर एक दिवसीय सेमिनार संपन्न

ब्यावर (निसं)। श्री वर्द्धमान शिक्षण समिति द्वारा संचालित श्री वर्द्धमान कन्या पी जी महाविद्यालय के फैशन डिजाइनिंग एंड मेकअप आर्टिस्ट विभाग द्वारा मंगलवार को एक दिवसीय पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. आर.सी. लोढ़ा के सान्निध्य में संपन्न हुआ। सेमिनार में महाविद्यालय प्राचार्य ने छात्राओं को भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यक्तित्व संवर्धन, बोलने की कला, सही और प्रभावी संवाद शैली जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निरंतर अभ्यास से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को निखार सकता है, क्योंकि प्रैक्टिस ही पूर्णता की कुंजी है। कार्यक्रम के दौरान टॉक स्किल्स, माता-पिता के प्रति कर्तव्य, नैतिक मूल्यों को अपनाने, तथा आधुनिक संस्कृति के साथ अपनी जड़ों को बनाए रखने पर विशेष प्रकाश डाला गया।

नेशनल हाईवे -89 को फोर लेन करने का मुद्दा लोकसभा में उठायां

ब्यावर (निसं)। राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने लोकसभा में नियम 377 के अंतर्गत सूचना देते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग अजमेर-नागौर वाया मेड़ता पर बढ़ते यातायात दबाव और जनसुरक्षा से जुड़े गंभीर विषय को मजबूती से उठाया। सांसद ने बताया कि ये हाई वे पश्चिम एवं मध्य राजस्थान की एक महत्वपूर्ण जीवनरेखा है, जो औद्योगिक, व्यापारिक, शैक्षिणक एवं धार्मिक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी मार्ग है। पीडब्लूडी एवं एनएचएआई द्वारा किए गए नवीनतम ट्रैफिक सर्वे के अनुसार बाड़ी घाटी टोल प्लाजा पर प्रतिदिन लगभग 12,400 पीसीयू तथा बुरटी टोल प्लाजा पर लगभग 10,400 पीसीयू से अधिक यातायात दर्ज किया गया है। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि मोर्थ के मानकों के अनुसार 10,000 पीसीयू से अधिक यातायात वाले मार्ग को फोर लेन में अपग्रेड किया जाना आवश्यक होता है, जबकि वर्तमान में यह मार्ग केवल दो लेन का है। इसके कारण पीक आवर्स में भारी जाम, सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि, यात्रा समय व परिवहन लागत में इजाफा हो रहा है, जिसका नकारात्मक प्रभाव व्यापार, पर्यटन एवं औद्योगिक विकास पर पड़ रहा है। सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने केंद्र सरकार से मांग की कि एनएच -89 अजमेर-नागौर वाया मेड़ता मार्ग को शीघ्र फोर लेन किया जाए, ताकि आमजन को सुरक्षित, सुगम एवं समयबद्ध परिवहन सुविधा मिल सके और क्षेत्र के समग्र विकास को गति मिले।

साइबर ठगों ने जिला कलेक्टर के नाम पर बनाया फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट

अजमेर(निसं)। साइबर अपराधियों द्वारा आमजन को ठगने और भ्रमित करने के नए-नए तरीके सामने आ रहे हैं। अब ठगों ने लोगों का भरोसा जीतने के लिए उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के नाम और फोटो का सहारा लेना शुरू कर दिया है। ऐसा ही एक गंभीर मामला अजमेर जिले से सामने आया है, जहाँ असामाजिक तत्वों ने अजमेर जिला कलेक्टर लोकबंधु की फोटो का दुरुपयोग करते हुए एक फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बना लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट एक इंटरनेशनल (विदेशी) नंबर के जरिए संचालित किया जा रहा है। इस अकाउंट से लोगों को मैसेज भेजकर भ्रमित करने और संभावित रूप से ठगी करने की आशंका जताई जा रही है। जैसे ही इस मामले की प्रारंभिक सूचना जिला कलेक्टर लोकबंधु को मिली, उन्होंने इसे अत्यंत गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के आदेश जारी किए। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने इस संबंध में अजमेर पुलिस अधीक्षक से भी वार्ता की और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अजमेर पुलिस की साइबर सेल को तुरंत सक्रिय कर दिया गया है। साइबर सेल अब उस इंटरनेशनल नंबर को ट्रैक करने और इसके पीछे सक्रिय गिरोह की पहचान करने में जुट गई है। जिला प्रशासन ने आमजन के लिए स्पष्ट चेतावनी जारी करते हुए कहा है।

नि:शुल्क मिर्गी रोग शिविर में एक सौ तैंतालीस रोगी लाभान्वित

■ शिविर में वरिष्ठ चिकित्सक आर के चंडक ने अपनी सेवाएं प्रदान कीं

अजमेर/गुलाबपुरा, (कासं)। प्राज्ञ मिर्गी रोग निवारक समिति गुलाबपुरा द्वारा माह के प्रथम मंगलवार को संस्था परिसर में निशुल्क मिर्गी रोग चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल एक सौ तैंतालीस रोगियों को चिकित्सा परामर्श एवं निशुल्क दवाओं का लाभ प्रदान किया गया, जिनमें चौबीस नए रोगी शामिल थे।

संस्था के मंत्री पदमचंद खटोड़ ने बताया कि शिविर में वरिष्ठ चिकित्सक आर के चंडक ने अपनी सेवाएं प्रदान कीं। इसके साथ ही रामलाल द्वारा रोगियों को मिर्गी रोग से बचाव, योग एवं नियमित अभ्यास के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

शिविर के लाभार्थी स्वर्गीय उदयराज की पुण्य स्मृति में विभिन्न दानदाताओं द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी गई तथा लाभार्थी परिवार का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। शिविर में रोगियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई और मंगलपाठ का आयोजन भी किया गया। शिविर में आए रोगियों एवं उनके परिजनों के लिए फरवरी माह में आयोजित सभी शिविरों के दौरान निशुल्क भोजन व्यवस्था की गई, जिससे दो सौ साठ से अधिक लोगों ने लाभ उठाया। शिविर के संचालन में संस्था के पदाधिकारियों एवं स्वयंसेवकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ (अजमेर) राजस्थान

क्रमांक: न.प.कि/भूमि/2026/10209 दिनांक: 02-02-2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपरिषद किशनगढ द्वारा राजस्व ग्राम किशनगढ बी के खसरा नं. 1575/78 रकबा 46.0134 हैक्टेयर में से 5900 वर्गमीटर भूमि नि:शुल्क आवंटन हेतु प्रस्तावित है। विवरण निम्न अनुसार है-

क्र. सं.	नाम संस्था	वांछित भूमि	खसरा संख्या	उद्देश्य	वि.वि.
1.	अखिल भारतीय गाडोलिया लोहार समाज, आदिवासी भील उत्थान समिति एवं घुमन्तु कालबेलिया समाज	5900 वर्गमीटर	1575/78	आवासीय (नि:शुल्क आवंटन हेतु)	मास्टर प्लान में गोदाम एवं वेयरहाउस उपयोग से आवासीय उपयोग हेतु भू-उपयोग परिवर्तन चाहा गया है।

उपरोक्त संस्थाओं को भूमि आवंटन किये जाने में किसी भी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन से 30 दिवस में प्रस्तुत करे बाद मयाद किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नही होगी। अत: सूचित रहे।

-आयुक्त, नगर परिषद किशनगढ

-आम सूचना-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स श्री सालासर कृपा स्टोन क्रशर, ख.न. 810/80 एवं ख.न. 6067/5822. रामदेव जी मंदिर के पास. गाँव सारनिया, तहसील मसूदा जिला ब्यावर राजस्थान 305901 में स्थित है, जिसका रजिस्ट्रशन न. RF/AJM/2024/4142 है और जिसमे 13/11/2024 से निम्न भागीदार चले आ रहे थे:- 1. जितेंद्र दाधीच पुत्र श्री सत्य नारायण दाधीच उम्र 51 निवासी 7-8, नाकोडा कॉलोनी, अजमेर रोड, ब्यावर, राजस्थान-3059011 2. दीपक शर्मा पुत्र श्री सत्य नारायण शर्मा उम्र 40 निवासी तहसील-मसूदा, खरवा, ब्यावर, राजस्थान-3059011 3. हरदेव सिंह रावत पुत्र श्री हरजी सिंह उम्र 62 निवासी गाँव-रामपुरा, तहसील- मसूदा, विया-खरवा, जिला-ब्यावर, राजस्थान- 3059011 4. नरेंद्र सिंह कानावत पुत्र श्री वीरेंद्र सिंह कानावत उम्र 31 निवासी सिंहलो का मौहल्ला, मसूदा, ब्यावर, राजस्थान-3059011 यह कि दिनांक 22/01/2026 को निष्पादित सेवानिवृत्ति सह साझेदारी नामे से 1. जितेंद्र दाधीच पुत्र श्री सत्य नारायण दाधीच उम्र 51 निवासी 7-8, नाकोडा कॉलोनी, अजमेर रोड, ब्यावर, राजस्थान-305901। 2. नरेंद्र सिंह कानावत पुत्र श्री वीरेंद्र सिंह कानावत उम्र 31 निवासी सिंहलो का मौहल्ला, मसूदा,ब्यावर, राजस्थान-3059011 उक्त भागीदारी से से सेवानिवृत्त कर दिया गया है। अब हमारी फर्म मैसर्स श्री सालासर कृपा स्टोन क्रशर में निम्न भागीदार हो गये है 1. दीपक शर्मा पुत्र श्री सत्य नारायण शर्मा उम्र 40 निवासी तहसील मसूदा, खरवा, ब्यावर, राजस्थान-3059011 2. हरदेव सिंह रावत पुत्र श्री हरजी सिंह उम्र 62 निवासी गाँव-रामपुरा, तहसील मसूदा, विया-खरवा, जिला-ब्यावर, राजस्थान-3059011 इस सम्बन्ध में किसी को कोई आपति हो तो कार्यालय रजिस्ट्रार ॲनफ फळस जिला उद्योग केन्द्र, ब्यावर, मे सूचना प्रकाषन के 7 दिवस के अन्दर संम्पर्क करें। बाद अवधि कोई आपित स्वीकार्य नहीं होगी।

-स्थान: ब्यावर, भवदीय-दीपक शर्मा भागीदार

आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड
IREL (India) Limited
(पूर्व में इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड)
रेयर अर्थ्स डिवीज़न, कोच्चि, केरल, ईमेल : purchase-red@irel.co.in
सीआईएन : U15100MH1950G01008187
एक ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 और ISO 45001:2018 कंपनी

निविदा सूचना

IREL (इंडिया) लिमिटेड, रेयर अर्थ्स डिवीज़न, उद्योगमंडल, नीचे दिए गए आइटम/जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए टेंडर मंगा रहा है:

आइटम/नौकरी का विवरण	GeM पोर्टल पर टेंडर की उपलब्धता
कास्टिक सोडा लाइ की खरीद	05.02.2026 (GeM पोर्टल में)
एचपीआरई संयंत्र की क्षमता वृद्धि	04.02.2026 (CPP पोर्टल में)

ज़्यादा जानकारी के लिए इन वेबसाइट पर जाएं: www.gem.gov.in www.irel.co.in/tender-information https://eprocure.gov.in/cppp ऊपर दिए गए टेंडर में कोई भी सुधार / एक्सटेंशन सिर्फ़ ऊपर दी गई वेबसाइट पर ही होस्ट किया जाएगा।

दिनांक: 29.01.2026 एसडी-जीएम
CBC 48145/12/0002/2526 और प्रमुख, आरईडा

कार्यालय नगरपालिका मसूदा जिला ब्यावर (राज0)

क्रमांक:न.पा.म./भूमि/2025-26/ आपत्ति सूचना दिनांक:

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका में निम्नानुसार आवेदकों ने अपने स्वामित्व दस्तावेजों के साथ कृषि भूमि नियमन हेतु आवेदन किया है।

क.स	नाम आवेदनकर्ता	क्षेत्रफल वर्गगज	खसरा संख्या	योजना का नाम	वि. विवरण
1	श्री कुलदीप माली पुत्र श्री टीकम चन्द माली, श्री संदीप कुमार वैष्णव पुत्र श्री ओम प्रकाश जी वैष्णव, श्री जीतेन्द्र सिंह पुत्र श्री गणपत सिंह राजपुरोहित, श्री विभोर शंका पुत्र श्री नेमी चंद जी शंका	6759	5993/4878,5994/4878, 5995/4878 5988/4878, 5996/4878,5997/4878, 6021/5987,6008/2959, 6004/2959,6019/6006	श्री वृन्दावन विहार कोलॉनी (आवासीय)	जरिये रजिस्ट्री

अत: उपर्युक्त आवेदकों के पक्ष में कृषि भूमि नियमन में पटटा जारी करने बाबत किसी भी व्यक्ति को कोई आपति हो तो अपनी आपति लिखित में मय दस्तावेज इस सूचना जारी होने से 7 दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत कर दे। बाद मियाद प्रस्तुत आपति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। सूचना में अंकित अवधि पश्चात पत्रावलियों के निस्तारण की कार्यवाही की जावेगी। दस्तावेज / साक्ष्य के प्रस्तुतीकरण के अभाव में नियमन नहीं होने के लिये आवेदनकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगें।

-अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका मसूदा

न्यायालय श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, ब्यावर

प्रकरण संख्या CM (N L) 5 सन 2026

श्री हुकम सिंह राजपुरोहित पुत्र स्व. श्री गिरधारी सिंह जाति राजपुरोहित आयु 72 वर्ष, निवासी तारों का खेडा, पुरानी रेलवे केबिन के सामने, बिजयनगर, जिला - ब्यावर प्रार्थी

बनाम

हर आम खास अप्रार्थी

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कराये जाने हेतु आवेदन पत्र

हर आम खास को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी ने मृतक श्रीमती मोहन कंवर के सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा बिजयनगर में पेंशन बचत खाता संख्या 1907381308 में 55749 /रूपये अक्षरे पचपन हजार सात सौ उनचास रूपये है, उपरोक्त राशि प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु इस न्यायालय में आवेदन किया है, जिसमें न्यायालय द्वारा सुनवाई दिनांक 2 4 -03- 2026 को नियत की गयी है इस सम्बन्ध में जिस किसी को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो वह नियत सुनवाई तिथि को स्वंय अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि, अधिवक्ता के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत करे . अन्यथा इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जावेगी। यह सूचना पत्र आज दिनांक. 22-01-2026 को न्यायालय की मोहर एव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

-वरिष्ठ रीडर
जिला एव सेशन न्यायाधीश न्यायाधीश ब्यावर

आम सूचना

मेरे पक्षकार श्री अशोक कुमार पुत्र स्व. छोटूलाल जाति माली निवासी माली मौहल्ला, नयाशहर, किशनगढ, जिला अजमेर की और से हर आम और खास को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार की पुत्री तनिशा सैनी मेरे पक्षकार के एवं मेरे परिवार के कहने सुनने मे नहीं है, तथा परिवार वालो की समझाईश के बावजूद अपनी मनमर्जी से परिवार के विरूद्ध तथा गैर पारिवारिक व गैर सामाजिक व्यवहार व जीवन में लिप्त है, जिस कारण मेरे पक्षकार एवं मेरे पक्षकार के परिवार ने तनिशा सैनी से हर प्रकार का रिश्ता तथा व्यवहार समाप्त कर दिया है तथा अपनी/परिवार की सम्पति से भी बेदखल कर दिया है।

प्रार्थी- अशोक कुमार (एडवोकेट संजय राज)

आम सूचना

मेरे पति ओमप्रकाश पुत्र मगनीराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम चौसला की मृत्यु दिनांक 20.12.1994 को मेरे निवास स्थान पर ग्राम चौसला में हो गई थी। जिसका पूर्व में इन्द्राज ग्राम पंचायत देवपुरी में नहीं करवाया था। अब मैं मेरे पति ओमप्रकाश ब्राह्मण का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अरांई तहसील कार्यालय में आवेदन किया है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने बाबत जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो 7 दिन में मय दस्तावेज के साथ अरांई तहसीलदार के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। - प्रार्थी- सुरज्ञान पत्नि ओमप्रकाश ब्राह्मण निवासी चौसला तहसील अरांई, अजमेर

आम सूचना

मेरा भाई श्रवण पुत्र सबला जाति रेबारी निवासी ग्राम चौसला की मृत्यु दिनांक 25.03.1994 को मेरे निवास स्थान पर ग्राम चौसला में हो गई थी। जिसका पूर्व में इन्द्राज ग्राम पंचायत देवपुरी में नहीं करवाया था। अब मैं मेरे भाई श्रवण का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अरांई तहसील कार्यालय आवेदन किया है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने बाबत जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो 7 दिन में मय दस्तावेज के साथ अरांई तहसीलदार के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

- प्रार्थी- अर्जुन पुत्र सबला रेबारी निवासी ग्राम चौसला तहसील अरांई, अजमेर

आम सूचना

मेरी पत्नि मालता पत्नि रतन जाति जाट निवासी ग्राम चौसला की मृत्यु दिनांक 19.07.2020 को मेरे निवास स्थान पर ग्राम चौसला में हो गई थी। जिसका पूर्व में इन्द्राज ग्राम पंचायत देवपुरी में नहीं करवाया था। अब मैं मेरी पत्नि मालता जाट का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अरांई तहसील कार्यालय में आवेदन किया है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने बाबत जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो 7 दिन में मय दस्तावेज के साथ अरांई तहसीलदार के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

-प्रार्थी- रतन पुत्र रोडू जाट, निवासी ग्राम चौसला तहसीलदार, अरांई, अजमेर

कार्यालय नगर पालिका जैतारण, जिला-ब्यावर (राज.)

क्रमांक : न.पा.जै./25-26/7082 दिनांक : 28.01.2026

आपत्ति आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित व्यक्तियो द्वारा निर्माण स्वीकृति/ नामान्तरण चाहने हेतु कार्यालय नगर पालिका जैतारण में आवेदन किया है । इस संबंध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर मियाद 07 दिवस में मय सबूत लिखित में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें बाद मियाद (अवधि) गुजरने पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेंगी व आवेदको के पक्ष में अगिम कार्यवाही की जावेंगी।

क. स.	आवेदक का नाम	कॉलोनी का नाम	पट्टा पत्रा. का विवरण	खसरा नं	प्रयोजनार्थ क्षेत्रफल	वि.वि.
1	श्री देवेन्द्र पुत्र श्री चम्पालाल जाति माली पुलिस थाने के सामने जैतारण	भाटियो का बास जैतारण	पत्रा.सं. 38/25-26 पट्टा सं 53/25-26	–	1519 वर्गफुट	निर्माण स्वीकृति (आवासीय)
2	श्री देवेन्द्र पुत्र श्री चम्पालाल जाति माली पुलिस थाने के सामने जैतारण	पुलिस थाने के सामने	पत्रा.सं. 39/25-26 पट्टा सं 54/25-26	–	947.67 वर्गफुट	निर्माण स्वीकृति (व्यावसायिक)
3	श्रीमती दीपलता पटेल पत्नी श्री रामलाल पटेल निवासी सिंगला	रूप रजत नगर जैतारण	पत्रा.सं 205/16-17 पट्टा सं 360/21-22	627	1200 वर्गफुट	निर्माण स्वीकृति (आवासीय)
4	श्रीमती सरिता पत्नी श्री दिनेश कुमार , जाति दर्जी निवासी बलूंदा	मेडतिया दरवाजा कुम्हारो का बास	पत्रा.सं 183/25-26 नामा. सं 166435/25-26	–	66.68 वर्गगज	निर्माण स्वीकृति (आवासीय)
5	श्री विजयराज पुत्र श्री बालूराम	प्रा.बस स्टेशन जैतारण	पत्रा. सं 645/83 पट्टा सं 43/84	–	751.50 वर्गफुट	नामांतरण
6	श्री अनिल कुमार पुत्र श्री कैलाशचंद जाति हरिजन	हरिजन बस्ती जैतारण	पट्टा सं 13/65-66 बुक नं 02	–	140 वर्गगज	नामांतरण
7	श्री सोहनलाल पुत्र श्री कुनाराम जाति रेगर निवासी जैतारण	रेगरो का बास जैतारण	पट्टा सं 02 मिसल संख्या 65/60-61	–	785.5 वर्गफुट	नामांतरण
8	श्री रमेशचंद्र लक्षकार पुत्र श्री बाबूलाल जाति लखारा निवासी जैतारण जिला ब्यावर	लखारो का बास जैतारण	पट्टा सं 163 पत्रावली सं 327/91	921/1	1008.00 वर्गफुट	निर्माण स्वीकृति

राज.संवाद/सी/25/18924 अधिशाषी अधिकारी

उत्तर पश्चिम रेलवे

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर कैरिज अजमेर द्वारा खुली ई-निविदा संख्या कैरिज-02-2026 दिनांक 31.01.2026 आमंत्रित की जाती हैं। कोई भी मैन्युअल टेंडर स्वीकार नहीं किया जायेगा और यदि कोई मैन्युअल टेंडर प्राप्त होता है तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा, **कार्य का नाम एवं स्थान:** वंदेभारत कोच में FRP नोज कोन का मेंटेनेंस, रिपेयर और फिटमेंट, जिसमें नोज कोन सीलिंग मॉडिफिकेशन, कोच के अंदर FRP पैनल की रिपेयर और रीपेंटिंग और सीट फ्रेम की इनसीटू/कोच के बाहर पेंटिंग और एक्रॉस्टिक इंसुलेशन को हटाना और लगाना शामिल है (काम के दायरे के अनुसार), **अनुमानित लागत:** रु.35460204.40, **टेण्डर डॉक्यूमेंट कॉस्ट:** रु.0.00, **बयाना राशि:** रु.327300.00, **ई-टेंडर फॉर्म जमा करने का समय व तारीख:** दिनांक 21.02.2026 समय 13.00 बजे तक, **वेबसाइट का विवरण:** www.ireps.gov.in, **पात्रता मानदंड:** लागु है। नोट : बयाना राशि केवल IREPS की वेबसाइट पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे सुविधा द्वारा ऑनलाइन जमा किये जाने है।

165-PS/26

हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

उत्तर पश्चिम रेलवे

क्रमांक: उखन/भूमिअवाप्ति / Ajm-Chanderiya रे०प्रो०/2026/157 दिनांक:-20.01.2026

अदमतामिली नोटिस के हितबदधारियों की सूची

रेलवे के स्पेशल प्रोजेक्ट "उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मण्डल में अजमेर- चंदेरिया खंड (178.28 किमी) दोहरीकरण परियोजना" के अंतर्गत उपखण्ड क्षेत्र नसीराबाद में अवाप्त की जाने वाली भूमि की मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु जारी प्रथम नोटिस जरिये तहसीलदार नसीराबाद के अदमतामीली रहने पर निम्नानुसार वर्णित हितबद्धधारियों को सूचित किया जाता है कि आप स्वयं का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नवीनतम जमाबंदी की प्रति व 50/- रूपये के क्षतिपूर्ति बंध पत्र के साथ 15 दिवस (अखबारसाया होने की दिनांक से) में उपखण्ड कार्यालय नसीराबाद में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

क्र.सं.	नाम ग्राम	खसरा नं.	रकबा	हितबदधारी का नाम
1	जगपुरा	705/87	0.0459	रामगोपाल दत्तक पुत्र दीनालाल जाति महाजन नि० नसीराबाद
2	राजोसी	3880, 3879	0.0306, 0.0522	शंकर पुत्र हैदर व बन्नी पुत्री जाति चीता नि० खापरी की डांग
3	राजोसी	3880, 3879	0.0306, 0.0522	मैना पत्नि छोटू व अलादीन पुत्र छोटू व फू ली पुत्री छोटू जाति चीता नि० खापरी की डांग
4	राजोसी	4041, 4040	0.100, 0.0097	भंवरसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति चीता नि० राजोसी
5	खापरी की डांग	6631/3652	0.0268	भोली पुत्री काना जाति रावत नि० बडगांव
6	खापरी की डांग	5184, 5185/6170	0.0145, 0.0043	पीरू, लाडू, सुभान, समदा पुत्रगण सुल्तान जाति चीता नि० खापरी की डांग
7	खापरी की डांग	5184, 5185/6170	0.0145, 0.0043	कालू, दीना, बाबू पुत्रगण हजारी जाति चीता नि० खापरी की डांग
8